न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः—465/17 ((RCMS No. 2017/00495) 18 आयुध अधिनियम 1959)

देवी सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी परसुआपुर थाना राजाखेड़ा जिला धौलपुर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

.....**रैस्पोडैन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 03.07.2017

उपस्थितिः—

1. श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 06.12.2017**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 03.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अपने अनुज्ञापत्र संख्या 18/68 दिनांक 31.12.15 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 26.12.16 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 158/05 धारा 147, 148, 149, 323, 325 ता0हि0 दर्ज हुआ था तथा माननीय एम.जे.एम.राजाखेडा के न्यायालय में चालान पेश हुआ। जिसमें मुताबिक निर्णय दिनांक 04.06.2007 अपीलान्ट को धारा 148 आईपीसी के अन्तर्गत दोषी घोषित किया गया एवं अपराध की पुनरावृति नही करेगा की शर्त पर रिहा व धारा 323, 325 आईपीसी के आरोप से बरूये राजीनामा बरी किया गया। ऐसी स्थिति में अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा की है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया तथा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को बरी किया जाना अंकित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण का पात्र नही है। अपीलान्ट ने आवेदन पत्र में आपराधिक तथ्यों को छिपाया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा की है। अतः अनुज्ञापत्र धारक के शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में शस्त्र अनुज्ञापत्र को दिनांक 03.07.17 को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट को विधिवत् रूप से शस्त्र अनुज्ञापत्र 1968 में जारी किया गया था। अपीलान्ट ने तब से लेकर अब तक शस्त्र का कभी भी दुरूपयोग नही किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध वर्ष 2005 में मुकदमा नं0 158/2005 दर्ज हुआ था जो न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा होकर प्रकरण समाप्त हो चुका है। इसलिये अपीलान्ट को अपराधी नही माना जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा विचाराधीन नही है। इसके बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने 2013(2) डब्लू.एल.सी (राज.) 393 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पेश करते हुऐ तर्क दिया कि आपराधिक मामले का लम्बित रहना अनुज्ञापत्र के प्रतिसंहरण या नवीनीकरण नही किये जाने का आधार नही है। 2016(3)सी.एल.आर (राज.) 1292 राजस्थान उच्च न्यायालय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चार प्रकरण दर्ज हुऐ जिनमें राजीनामा के जरिये तीन मामले निर्णित हुऐ और एक मामले में शास्ति आरोपित की। लाइसेन्स निरस्त करने की दिनांक को कोई मामला लम्बित नही था। किसी पहलू पर और लाईसेन्स के बारम्बार नवीनीकरण पर विचार किये बिना मशीनी तौर पर आदेश पारित किया। आदेश अपास्त किया तथा प्रकरण पुनः वियार करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये। उन्होंने 2005(2)सीएलआर (राज.) 907 पेश करते हुऐ तर्क दिया कि आपराधिक मामले लम्बित रहने से अनुज्ञापत्र को निरस्त नही किया जा सकता है। उनका तर्क है कि जिला पुलिस अधीक्षक की पुनः ली गई तथ्यात्मक रिपोर्ट पर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अनुज्ञा पत्र को बहाल किया जाकर आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 158/05 धारा 147, 148, 149, 323, 325 ता0हि0 दर्ज हुआ था। जिसमें माननीय एम.जे.एम. राजाखेडा के न्यायालय में चालान पेश हुआ। जिसमें मुताबिक निर्णय अपीलान्ट को धारा 148 आईपीसी के अन्तर्गत दोषी घोषित किया गया। किन्तु सजा के बिन्दु पर पक्षकारों में राजीनामा होने पर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ देते हुऐ पॉच हजार के मुचलके के आधार पर सशर्त रिहा किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक की पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है। जिसमें उन्होंने अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा की है। अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति एवं संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त दिया, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.15 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराने के लिये अधीनस्थ न्ययालय में प्रार्थना पत्र पेश

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया। प्रार्थना पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। जिसमें उन्होंने अंकित किया था कि अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 158/05 धारा 147, 148, 149, 323, 325 ता0हि0 दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश हुआ था तथा न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 148 आईपीसी के अन्तर्गत दोषी घोषित किया गया एवं अपराध की पुनरावृति नही करेगा, की शर्त पर रिहा किया एवं धारा 323, 325 आईपीसी के आरोप से बरूये राजीनामा बरी किया गया। ऐसी स्थिति में अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति मानते हुऐ तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा के आधार पर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध वर्ष 2005 में मुकदमा नं0 158/2005 दर्ज हुआ था जो न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा होकर प्रकरण समाप्त हो चुका है। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई मुकदमा विचाराधीन भी नही बताया है। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2013(2) डब्लू.एल.सी (राज.) 393 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार आपराधिक मामले का लम्बित रहना अनुज्ञापत्र के प्रतिसंहरण या नवीनीकरण नही किये जाने का आधार नही माना है। 2016(3)सी.एल.आर (राज.)1292 राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार लाइसेन्स निरस्त करने की दिनांक को कोई मामला लम्बित नही होने से लाईसेन्स निरस्त नही किया जा सकता है तथा 2005(2)सीएलआर (राज.) 907 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार आपराधिक मामले लम्बित रहने से अनुज्ञापत्र को निरस्त नही किया जा सकता है। उक्त तीनों दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण वर्ष 2005 में दर्ज हुआ था जिसका निस्तारण दिनांक 04.06.2007 को हो चुका था। वर्ष 2005 से 31.12.2015 तक अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकृत होता आया है। अपीलान्ट का कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से अपीलान्ट के जबाब के बाद पुनः रिपोर्ट मॅगवायी गयी थी। उक्त रिपोर्ट के आने के बाद अपीलान्ट का सुनवाई का अवसर नही दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। हम अपीलान्ट के तर्क से सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय संगत निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.01.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 06.12.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर